भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 971
10.02.2025 को उत्तर के लिए

एलएसजीआई प्रमुखों को जंगली सूअरों को मारने की अनुमति

971. श्री के. सुधाकरन :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश पर ध्यान दिया है, जिसमें सभी स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं (एलएसजीआई) के प्रमुखों को मानद वन्यजीव वार्डन के रूप में अधिकृत किया गया है और उन्हें मानव बस्तियों में भटकने वाले जंगली सूअरों को मारने की शक्ति दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 सभी एलएसजीआई प्रमुखों को सामूहिक रूप से ऐसा आदेश जारी करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11 यह अनिवार्य करती है कि किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए और यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य वन्यजीव वार्डन के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा राज्य सरकार को मानद वन्यजीव संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक के अधीनस्थ होंगे। इसके अलावा, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अधिनियम के तहत अपनी सभी या किसी एक शक्ति और कर्तव्य अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है, परंतु इसमें अधिनियम की धारा 11 (1) (क) के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देना शामिल नहीं है।

*****